विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तरालेख
2- (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद झांसी में स्वीकृत बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्पों को जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04 अप्रैल, 2025 जो कि आपको सम्बोधित था प्राप्त हुआ है ?	जी हां, जिलाधिकारी, झांसी के पत्र संख्या-1860/20-शस्त्र लिपिक/पेट्रोल पम्प/2025 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पत्र दिनांक 04-04-2025 आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या-18166250062488 के साथ प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, झांसी ने अपने पत्र संख्या 62/20-शस्त्र लिपिक (आई०जी०आर०एस०) / 2025 दिनांक 08-05- 2025 के द्वारा मण्डलायुक्त, झांसी के माध्यम से आख्या प्रेषित की जा चुकी है।
(ख)	यदि हॉं, तो जनपद-झांसी में स्वीकृत बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्पों को जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक न दिये जाने हेतु कौन कौन से जिम्मेदार अधिकारी उत्तरदायी हैं ?	डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य विधान परिषद का पत्र दिनांक 04-04-2025 जो कि मा० मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, में श्री सिंहवृत्त यादव पता 2572 नालगंज सीपरी बाजार, झांसी के-बी०पी०सी०एल० पम्प हेतु अनापत्ति न मिलने का उल्लेख किया गया। है।. अवगत कराना है कि मै० भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के मौजा बूढा तहसील-झांसी की भूमि संख्या-567 एवं 568/2 पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, झांसी की आख्या दिनांक 17-09-2024, दिनांक 09-04-2025 एवं

		दिनाक 14-07-2025 में उक्त भूमि 1359 फसली की खतौनी में बंजर (शासकीय भूमि) पायी गयी है। उक्त भूमि बंजर श्रेणी से किस आधार पर श्री सिंहवृत्त सिंह यादव के नाम संक्रमणीय के रूप में दर्ज हुई, से संबंधित कोई भी अभिलेख श्री सिंहवृत्त सिंह यादव द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिस कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र के विषय में अग्रेत्तर कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है । उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी, झांसी से सुस्पष्ट आंख्या प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, झांसी के पत्र दिनांक 26-07-2025 के माध्यम से पत्राचार किया गया है ।
(ग)	उत्तर दायि त्व निर्धारित कराते हुए कब तक उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिला दिया जायेगा ?	उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना प्रक्रियाधीन है।
(घ)	उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार ।
(ङ)	यदि नहीं , तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री